न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

नम्बर व अहकाम जो इस की तामील में जारी

...सीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

...कदमा नम्बर – 35/2017

1. मूंगाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री गोपालराम जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राज0

वादी

बनाम

1. भानाराम उम्र 53 वर्ष
2. सुखाराम उम्र 50 वर्ष
3. मद्याराम उम्र 48 वर्ष
4. सांवरमल उम्र 45 वर्ष
   पुत्रगण गोपालराम
5. बीरबल उम्र 50 वर्ष
6. रामदेवाराम उम्र 40 वर्ष पुत्रगण मोटाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राज0
7. तहसीलदार, फतेहपुर तहसील फतेहपुर भूमि धारक राज0 सरकार
8. श्रीमान जिला कलेक्टर सीकर , जिला सीकर राज0
9. कानाराम पुत्र चोखाराम जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर
10. सुखी पुत्री हीराराम पत्नी हुणताराम जाति जाट निवासी माण्डेला बड़ा

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अ. धारा 88/188 आर.टी.एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित अधिवक्ता

श्री मोहनसिंह जाखड़– वादी
श्री हेमराज सैनी – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 28.01.2019

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर में आराजी खसरा नंबर 416 रकबा 2.3800 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की पैत्रिक वंशानुगत कृषि भूमि स्थित है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

वादी के पड़दादा व दादा तथा पिता का देहान्त हो चुका है लेकिन मौजूदा खाता वादी
पूर्वजों के नाम चला आ रहा है जो प्रभावहीन है और निरस्तनीय है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मौके पर काबिज है और काश्त कर रहे है इसलिये
खाता अपने नाम करवाने के अधिकारी है। चोखाराम के लड़के कानाराम पहले ही अलग हो
गया और अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करवा ली और उसमें काश्त करने लग गया
इसलिये विवादग्रस्त आराजी में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं है

वादी ने पटवारी हल्का से अपने नाम खाता बनाने को कहा तो पहले तो हां हूं करत
रहा और बाद में कतई इंकार हो गया। वादी के नाम खाता नहीं बनने के दिन से वादाध
तथा योम इंकारी दिनांक 05.07.2014 से वाद कारण पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्य
हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 7 भूमि धारक तथा प्रतिवादी 8 प्रतिनिधि राज्य सरकार होने के का
उन्हें इस प्रकरण में प्रतिवादी के रुप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादर डिक्री फरमाया जावे कि
खसरा नंबर 416 रकबा 2.3800 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सी
का खाता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे
मौजूदा खाता निरस्त उदघोषित फरमाया जावे।

पत्रावली माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधि
सीकर से प्राप्त होने पर मिसल मूर्तिव की गयी। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से श्री है
सैनी एड. ने वकालतनामा पेश किया व इकबाली जवाब दावा पेश किया। बहस वक
फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या
माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर में
वकील हाजिर होकर वादी का वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होत
अतः वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खेत खसरा नंबर 416
2.3800 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर का खाता
प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है व मौजूदा
निरस्त उदघोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अ
फतेहपुर(स

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

Web Copy Not Official

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

1. मूंगाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री गोपालराम जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राज0

वादी

बनाम

1. भानाराम उम्र 53 वर्ष
2. सुखाराम उम्र 50 वर्ष
3. मद्याराम उम्र 48 वर्ष
4. सांवरमल उम्र 45 वर्ष
   पुत्रगण गोपालराम
5. बीरबल उम्र 50 वर्ष
6. रामदेवाराम उम्र 40 वर्ष पुत्रगण मोटाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राज0
7. तहसीलदार, फतेहपुर तहसील फतेहपुर भूमि धारक राज0 सरकार
8. श्रीमान जिला कलेक्टर सीकर , जिला सीकर राज0
9. कानाराम पुत्र चोखाराम जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर
10. सुखी पुत्री हीराराम पत्नी हुणताराम जाति जाट निवासी माण्डेला बड़ा

......प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 रा0भू0 रा0 अधिनियम

मुकद्दमा नं.....35.............................सन्....2017..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........मेरे..

व हाजिरी...श्री मोहन सिंह जाखड़ एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री हैमराज सैनी एड0..मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि खेत खसरा नंबर 416 रकबा 2.3800 हैक्टेयर वाके ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर का खाता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है व मौजूदा खाता निरस्त उदघोषित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

....– ....मुबलिग................–.....................बाबत.......................–.....................

मुकद्दमें के मय शूद बशरह................–.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से

अदायगी तक..का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....28......माह ......जनवरी..........सन् 2019

...री की गई।

दस्तखत..

ओहदा.......................उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	5			1	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या न